

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

जिला देहरादून उत्तराखण्ड में अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0, सहिया के अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 4.375 हे0 सिविल/समाज भूमि, 6.125 हे0 नाप भूमि) वन भूमि का अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत गांगरो द्वारा ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र बावत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गई कि फारेस्ट राईट एक्ट (एफ0आर0ए0) 2006 के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि ग्राम गांगरो के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया को दिये जाने पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है।

ग्राम सभा की सिफारशी पर फारेस्ट राईट एक्ट (एफ0आर0ए0) 2006 के अन्तर्गत विभाग (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 4.375 हे0 सिविल/समाज भूमि, 6.125 हे0 नाप भूमि) वन भूमि का अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया को कुरियों -खाती-कचटा से यमुना नदी पर पुल से यमनोत्री मार्ग पर स्थित मरोड तक मार्ग के नवनिर्माण हेतु प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ह0/-
ग्राम सचिव-कालसी
विकासखण्ड - कालसी
जनपद - देहरादून

लघारा देवी
सदस्य क्षेत्र पंचायत कचटा
कि0 खण्ड कालसी (देहरादून)



ह0/-
ग्राम प्रधान-गांगरो

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

जिला देहरादून उत्तराखण्ड में अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0, सहिया के अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 4.375 हे0 सिविल/समाज भूमि, 6.125 हे0 नाप भूमि) वन भूमि का अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत आस्टा द्वारा ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र बावत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गई कि फारेस्ट राईट एक्ट (एफ0आर0ए0) 2006 के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि ग्राम आस्टा के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया को दिये जाने पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है।

ग्राम सभा की सिफारशी पर फारेस्ट राईट एक्ट (एफ0आर0ए0) 2006 के अन्तर्गत विभाग (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 4.375 हे0 सिविल/समाज भूमि, 6.125 हे0 नाप भूमि) वन भूमि का अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया को कुसियों -खाती-कचटा से यमुना नदी पर पुल से यमनोत्री मार्ग पर स्थित मरोड तक मार्ग के नव निर्माण हेतु प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ह0/-
ग्राम सचिव-कालसी
विकासखण्ड - कालसी
जनपद - देहरादून

चारोदेवी
सदस्य क्षेत्र पंचायत कचटा
वि0 खण्ड कालसी (देहरादून)



ग्राम प्रधान-आस्टा

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

जिला देहरादून उत्तराखण्ड में अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0, सहिया के अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 4.375 हे0 सिविल/समाज भूमि, 6.125 हे0 नाप भूमि) वन भूमि का अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कचटा द्वारा ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र बावत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गई कि फारेस्ट राईट एक्ट (एफ0आर0ए0) 2006 के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है।

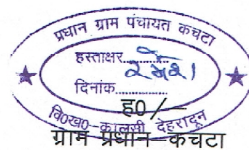
चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि ग्राम कचटा के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया को दिये जाने पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है।

ग्राम सभा की सिफारशी पर फारेस्ट राईट एक्ट (एफ0आर0ए0) 2006 के अन्तर्गत विभाग (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 4.375 हे0 सिविल/समाज भूमि, 6.125 हे0 नाप भूमि) वन भूमि का अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया को कुरियों -खाती-कचटा से यमुना नदी पर पुल से यमनोत्री मार्ग पर स्थित मरोड तक मार्ग के नवनिर्माण हेतु प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ह0/- 
पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सचिव-कालसी
जनपद - देहरादून


सदस्य क्षेत्र पंचायत कचटा
वि0 खण्ड कालसी (देहरादून)



अनापत्ति प्रमाण-पत्र

जिला देहरादून उत्तराखण्ड में अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0, सहिया के अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 4.375 हे0 सिविल/समाज भूमि, 6.125 हे0 नाप भूमि) वन भूमि का अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायती खाती द्वारा ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया द्वारा आवेदित वन भूम के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र बावत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गई कि फारेस्ट राईट एक्ट (एफ0आर0ए0) 2006 के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि ग्राम खाती के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया को दिये जाने पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है।

ग्राम सभा की सिफारशी पर फारेस्ट राईट एक्ट (एफ0आर0ए0) 2006 के अन्तर्गत विभाग (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 4.375 हे0 सिविल/समाज भूमि, 6.125 हे0 नाप भूमि) वन भूमि का अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया को कुरियों -खाती-कवटा से यमुना नदी पर पुल से यमनोत्री मार्ग पर स्थित मरोड तक मार्ग के नवनिर्माण हेतु प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ह0/-
ग्राम सचिव-कालसी अधिकारी
विकासखण्ड - कालसी
जनपद - देहरादून

हस्ताक्षर
सदस्य क्षेत्र पंचायत कवटा
खि0 खण्ड कालसी (देहरादून)

ह0/-
ग्राम प्रधान-खाती
प्रधान ग्राम पंचायत खाती
हस्ताक्षर
दिनांक
खि0ख0-कालसी, देहरादून

परियोजना का नाम :- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 515/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के ग्राम कुसियों-खाती-कचटा से यमुना नदी पर पुल से यमुनोत्री मार्ग पर स्थित ग्राम मरोड़ तक विस्तार ।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम गांगरो, तहसील कालसी, जिला- देहरादून उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र चकराता के ग्राम कुसियों-खाती-कचटा से यमुना नदी पर पुल से यमुनोत्री मार्ग पर स्थित ग्राम मरोड़ तक विस्तार परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 4.375 हे0 सिविल सोयम भूमि, नाप भूमि- 6.125 हे0 वन पंचायत भूमि 0.00 हे0) अर्थात् कुल 10.500 हे0 वन भूमि का अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया के विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत गांगरो द्वारा दिनांक 19.09.14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम गांगरो के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-
ग्राम सचिव- कालसी

सदस्य क्षेत्र पंचायत कचटा
जिला खण्ड कालसी (देहरादून)



ह0/-
ग्राम प्रधान- गांगरो

परियोजना का नाम :- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 515/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के ग्राम कुसियों-खाती-कचटा से यमुना नदी पर पुल से यमुनोत्री मार्ग पर स्थित ग्राम मरोड़ तक विस्तार ।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम आस्ता, तहसील कालसी, जिला- देहरादून उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र चकराता के ग्राम कुसियों-खाती-कचटा से यमुना नदी पर पुल से यमुनोत्री मार्ग पर स्थित ग्राम मरोड़ तक विस्तार परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 4.375 हे0 सिविल सोयम भूमि, नाप भूमि- 6.125 हे0 वन पंचायत भूमि 0.00 हे0) अर्थात् कुल 10.500 हे0 वन भूमि का अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया के विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत आस्ता द्वारा दिनांक 19.09.14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम आस्ता के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं राही है।

प्यारो देवी
सदस्य क्षेत्र पंचायत कचटा
जि. म. म. म. (देहरादून)



ह0 / *[Signature]*
ग्राम सचिव-कालसी अधिकारी
दिकानखण्ड - कालसी *आस्ता*
जनपद - देहरादून

ह0 / -
ग्राम प्रधान- आस्ता

परियोजना का नाम :- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 515/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के ग्राम कुसियों-खाती-कचटा से यमुना नदी पर पुल से यमुनोत्री मार्ग पर स्थित ग्राम मरोड़ तक विस्तार ।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

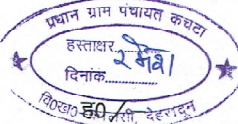
ग्राम पंचायत का नाम कचटा, तहसील कालसी, जिला- देहरादून उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र चकराता के ग्राम कुसियों-खाती-कचटा से यमुना नदी पर पुल से यमुनोत्री मार्ग पर स्थित ग्राम मरोड़ तक विस्तार परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 4.375 हे0 सिविल सोयम भूमि, नाप भूमि- 6.125 हे0 वन पंचायत भूमि 0.00 हे0) अर्थात् कुल 10.500 हे0 वन भूमि का अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया के विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कचटा द्वारा दिनांक 19.09.14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कचटा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


ह0/2 विकास अधिकारी
ग्राम सचिव-कालसी
जनपद - देहरादून १२/११


सदस्य क्षेत्र पंचायत कचटा
वि0 खण्ड कालसी (देहरादून)


प्रधान ग्राम पंचायत कचटा
हस्ताक्षर २६/११
दिनांक ३०/११/१४
वि0ख0 ३०/११/१४ देहरादून
ग्राम प्रधान- कचटा

परियोजना का नाम :- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 515/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के ग्राम कुसियों-खाती-कचटा से यमुना नदी पर पुल से यमुनोत्री मार्ग पर स्थित ग्राम मरोड़ तक विस्तार ।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम खाती, तहसील कालसी, जिला- देहरादून उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र चकराता के ग्राम कुसियों-खाती-कचटा से यमुना नदी पर पुल से यमुनोत्री मार्ग पर स्थित ग्राम मरोड़ तक विस्तार परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 4.375 हे0 सिविल सोयम भूमि, नाप भूमि- 6.125 हे0 वन पंचायत भूमि 0.00 हे0) अर्थात् कुल 10.500 हे0 वन भूमि का अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया के विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत खाती द्वारा दिनांक 19.09.14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम खाती के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 / -
ग्राम सचिव- कालसी
विभागाध्यक्ष - कालसी
जनपद - देहरादून

ह0 / -
सदस्य क्षेत्र पंचायत कचटा
खि0 खण्ड कालसी (देहरादून)

ह0 / -
ग्राम प्रधान- खाती
प्रधान ग्राम पंचायत खाती
हरिताथार
दिनांक.....
खि0 खण्ड कालसी देहरादून

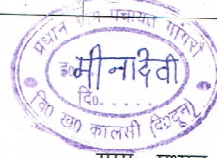
दिनांक :

ग्राम पंचायत - गोंगरो ,

को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	गो-दास	गो-दास
	गजिवर सिंह	गजिवर सिंह
	आनन्द सिंह	आनन्द सिंह
	मिजान सिंह	मिजान
	केशर सिंह	केशर
	खजान दास	खजान
	स्वराज सिंह	स्वराज सिंह
	खजान सिंह	खजान सिंह
	रणवीर सिंह	रणवीर सिंह
	अणव सिंह	
	वीर सिंह	गुलाब सिंह
	धारिभान	वीर सिंह
	प्रताप सिंह	धारिभान
	विक्रम सिंह	प्रताप
	ध्यान सिंह	विक्रम
	शरण सिंह बल प्र. प्र. प्र. कचरा	ध्यान

प्रशासक
सदस्य क्षेत्र पंचायत कचरा
वि० खण्ड कालसी (बिहार)



ह०/-
ग्राम प्रधान-गोंगरो

दिनांक : 19/09/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत - आस्टा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	जगपाल दास	जगपाल दास
2	भूताई दास	भूताई
3	सुर सिंह	सुर सिंह
4	बबलू	गुड्डू
5	गुड्डू सिंह	गुड्डू
6	मुन्ना दास	मुन्ना
7	मन्डू	मन्डू
8	सुरलू सिंह	सुरलू सिंह
9	गानी दास	गानी
10	कली	कली
11	सलू दास	सलू
12	फरारू दास	फरारू
13	देवान सिंह	देवान सिंह
14	शशकू	शशकू
15	छया दास	छया
16	श्यामसिंह उमा श्यामसिंह कपूर	श्यामसिंह

ह0/-
ग्राम प्रधान-आस्टा

सदस्य क्षेत्र पंचायत कचड़ा
वि० खण्ड कालसी (देहरादून)

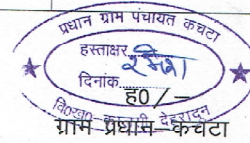


दिनांक : 22/09/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत - कचटा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	रमेश चandra सिंह S/o श्री कु-रना सिंह	रमेश
2-	सुनील सिंह S/o श्री निजधराम	सुनील सिंह
3-	सुरदार सिंह S/o अरुण सिंह	सुरदार
4-	गोविन्द सिंह S/o कलशाम	गोविन्द
5-	सुरेन्द्र सिंह S/o करम सिंह	सुरेन्द्र
6-	प्रताप सिंह S/o नारायण सिंह	प्रताप सिंह
7-	बालू वर्मा S/o हनुमान वर्मा	बालू वर्मा
8-	श्यामू वर्मा S/o भोला	श्यामू वर्मा
9-	धेपा सिंह S/o नारायण सिंह	धेपा सिंह
10-	गुलर सिंह S/o रण सिंह	गुलर सिंह
11-	रजनीश S/o शोभा	रजनीश
12-	शुक्ल सिंह S/o बरु सिंह	शुक्ल
13-	सीमा सिंह S/o बृज सिंह	सीमा सिंह
14-	अमर सिंह S/o विजय सिंह	अमर सिंह
15-	सुल्तान सिंह S/o परम सिंह	सुल्तान सिंह
16-	महावीर सिंह S/o पंच राम	महावीर सिंह
17-	नसीरुद्दीन S/o श्याम सिंह	नसीरुद्दीन
18-	हुकम सिंह S/o रतन सिंह	हुकम सिंह
19-	वीरम सिंह S/o सुरज सिंह	वीरम सिंह
20-	प्रताप सिंह S/o श्याम सिंह	प्रताप सिंह

प्रादेशी
सदस्य क्षेत्र पंचायत कचटा
वि० खण्ड कालसी (देहरादून)



दिनांक : 19/09/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत - खाती

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	बृजनाथ सिंह	बृजनाथ सिंह राठौर
2	डोहरा सिंह	डोहरा सिंह
3	सुंदर लाल सिंह	बालवी रसिदा राठौर
4	प्रताप सिंह	सुंदर लाल सिंह
5	पुनम सिंह	प्रताप सिंह
6	विलासराठौर	पुनम सिंह
7	लारणी राम	विलासराठौर
8	केशव सिंह	नारायण
9	लाल सिंह	केशव सिंह
10	चन्दन सिंह	चतर सिंह
11	सोहन दास	चन्दन सिंह
12	अमोचन्द	सोहन दास
13	गुड्डू	अमोचन्द
14	रघुश्रीराम	रघुश्रीराम
15	बलवीर सिंह राठौर	गुड्डू
16	रमेश	रमेश
17	नीरज	नीरज
18	रवप्रान	खजानी सिंह
19	धुम सिंह	धुम सिंह
20	स्वराज्य सिंह	स्वराज्य सिंह
21	पुनम सिंह	पुनम सिंह
22	प्रताप सिंह खन्ना १०५ चाँद नयन	प्रताप सिंह
23	सरदार	सरदार

प्रमुख
सदस्य क्षेत्र पंचायत कचड़ा
वि० खण्ड कालसी (देहरादून)

ह०/-
ग्राम प्रधान-खाती

